रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1019] नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2014/वैशाख 17, 1936
No. 1019] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2014/VAISAKHA 17, 1936

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2014

**का.आ. 1229(अ).**—यत: मै. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (आरआईआईसीओ) लिमिटेड, ने बोरानाडा, जोधपुर, राजस्थान राज्य में हस्तशिल्प हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.20, 2002-2007 (31/03/2003 तक यथा संशोधित) के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यत:, केन्द्र सरकार ने, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 (1992 की संख्या 22) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 8 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1029(अ), द्वारा 452.00 रखबा (बीघा-बिस्वा) क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था;

और, यत:, मै. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (आरआईआईसीओ) लिमिटेड ने उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन के सम्पूर्ण 452.00 रखवा (बीघा-बिस्वा) क्षेत्र को अनाधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने दिनांक 8 नवम्बर, 2013 को उपर्युक्त क्षेत्र को अनाधिसूचित किए जाने हेतु अनुमोदित पत्र प्रदान कर दिया है;

और, यत:, राजस्थान सरकार ने अपने पत्र सं. एफ. 4 (1)/आईएनडी/जीआर.1/2005, दिनांक 6 फरवरी, 2014 के तहत इस प्रस्ताव को "अनापत्ति" प्रदान की है;

और, यत:, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 452.00 रखबा (बीघा-बिस्वा) के समस्त क्षेत्र को अनाधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है ;

अत: अब विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उन सभी बातों को छोड़कर जो उपरोक्त सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करती है ऐसे निरसन के पूर्व की गई हैं या किए जाने से निवारित की गई हैं ।

[फा. सं. एफ. 2/7/2003-एसईजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th May, 2014

**S.O. 1229(E).**—Whereas, M/s. Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation (RIICO) Limited, had proposed under Para 7.20 of the Foreign Trade Policy, 2002-2007 (as amended upto 31.03.2003) to set up a sector specific Special Economic Zone for Handicraft SEZ at Boranada, Jodhpur, in the State of Rajasthan;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), had notified an area of 452.00 Rakhba (Bigha-Biswa) *vide* Ministry of Commerce and Industry Notification Number S. O. 1029 (E), dated 8th September, 2003;

And, whereas, M/s. Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation (RIICO) Limited has proposed to de-notify the entire area of 452.00 Rakhba (Bigha-Biswa) of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted approval for de-notification of above area on 8th November, 2013;

And, whereas, the State Government of Rajasthan has given its "No Objection" to the proposal *vide* letter No. F.4(1)/Ind./Gr.1/2005, dated 6th February, 2014;

And, whereas, the Development Commissioner, Noida Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of' 452.00 Rakhba (Bigha-Biswa) of the Special Economic Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/7/2003-SEZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.